

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा**  
**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष**

**आ. अ. सं. 409/इंदौर /2019**

**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

मे. आनंद ट्रेडर्स, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त वृत्त 4 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएजेएफए 4547 एम		

अपीलार्थी की ओर से	श्री पी.डी.नागर, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	20.02.2020
उद्घोषणा तिथि	02.03.2020

**आदेश**

**श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा**

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 19.02.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है। पूर्व में यह अपील आदेश दिनांक 25.06.2019 के द्वारा खारिज की गई थी जिसे विविध आवेदन सं. 92/इंदौर/2019 में आदेश दिनांक 20.12.2019 के द्वारा वापस बुलाया गया (recalled) है।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक

अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने गुणागुण पर सकारण आदेश पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है । निर्धारिती को भी इस संबंध में स्वप्रेरणा से (suo motu) विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने तथा अनावश्यक स्थगन नहीं मांगकर सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

आदेश 02.03.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-  
(मनीष बोर्ड)  
लेखा सदस्य

हस्ता/-  
(कुल भारत)  
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 02.03.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,  
गार्ड फ़ाइल